

कार्यालय, प्रमुख वन संरक्षक, HoFF उत्तराखण्ड, देहरादून

वनादेश सं० 75 / 1-13(13) (H.R.D.) देहरादून दिनांक, 05 मई, 2022

पदोन्नति / तैनाती आदेश

इस कार्यालय के पत्रांक 188(H.R.D.) / 1-12 (एच0आर0डी0) दिनांक 28-07-2021 द्वारा मिनिस्ट्रीयल संवर्ग के रिक्त पदों पर पदोन्नति हेतु पदोन्नति समिति का गठन किया गया। पदोन्नति समिति की दिनांक 09-08-2021 को बैठक आयोजित की गयी। पदोन्नति समिति की संस्तुति के आधार पर वर्तमान में उत्पन्न रिक्त के सापेक्ष निम्नलिखित प्रशासनिक अधिकारी वेतनमान 44,900-1,42,400 लेवल 07 को वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी वेतनमान 47,600-1,51,100 लेवल-08 के पद पर कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से प्रोन्नत कर उनकी तैनाती कॉलम-4 में अंकित कार्यालय में की जाती है :-

| क्र० सं० | प्रशासनिक अधिकारी का नाम | वर्तमान तैनाती कार्यालय | पदोन्नति के उपरान्त तैनाती का कार्यालय |
|----------|--------------------------|--|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | श्री अरविन्द उनियाल | उत्तराखण्ड जैव विविधता बोर्ड, देहरादून | प्रमुख वन संरक्षक, HoFF उत्तराखण्ड देहरादून |

1. पदोन्नत कार्मिक द्वारा यदि पदोन्नति का परित्याग किया जाता है तो कार्मिक के विरुद्ध उत्तराखण्ड राज्यधीन सेवाओं में पदोन्नति का परित्याग (Forgo) नियमावली, 2020 के तहत कार्यवाही की जायेगी।

2. संबंधित कर्मचारी पदोन्नति आदेश के जारी होने की तिथि से दो सप्ताह अन्तर्गत अपनी पदोन्नति पर योगदान देना सुनिश्चित करें, यदि निर्धारित तिथि तक पदोन्नति / तैनाती स्थल पर योगदान नहीं दिया जाता है तो संबंधित कार्मिक का पदोन्नति आदेश स्वतः निरस्त समझा जाएगा तथा कनिष्ठ कार्मिक की पदोन्नति कर दी जायेगी।

3. नियंत्रक अधिकारी संबंधित कार्मिकों को समयान्तर्गत कार्यमुक्त करना सुनिश्चित करें यदि कार्मिक द्वारा पदोन्नति स्वीकार नहीं की जा रही हो तो कार्मिक से लिखित रूप में इस आशय का पत्र प्राप्त कर तत्काल इस कार्यालय व मुख्य वन संरक्षक, मानव संसाधन विकास एवं कार्मिक प्रबंधन, उत्तराखण्ड, देहरादून को प्रेषित करें।

4. कार्मिक की पदोन्नति / तैनाती स्थल पर योगदान करने संबंधी सूचना इस कार्यालय व मुख्य वन संरक्षक, मानव संसाधन विकास एवं कार्मिक, उत्तराखण्ड, देहरादून को कार्मिक के अवमुक्त / योगदान के तत्काल पश्चात अनिवार्य रूप से उपलब्ध करा दी जाये।

(विनोद कुमार)

प्रमुख वन संरक्षक
उत्तराखण्ड, देहरादून

पत्र सं० 1912 (1) / 1-13 तददिनांकित।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

- मुख्य वन संरक्षक, मानव संसाधन विकास एवं कार्मिक प्रबंधन, उत्तराखण्ड देहरादून।
- सदस्य सचिव, उत्तराखण्ड जैव विविधता बोर्ड, देहरादून।
- आदेश में अंकित समस्त कार्यालय।
- सम्बन्धित मुख्य कोषाधिकारी / कोषाधिकारी, उत्तराखण्ड।
- संबन्धित अधिकारी द्वारा नियंत्रक अधिकारी।
- मु०व०सं०, निगरानी, मूल्यांकन, आई०टी० एवं आधुनिकीकरण देहरादून को विभागीय वेबसाईट में अपलोड हेतु।
- अधिष्ठान / गार्ड बुक।

I. F. G. C.
05. 04. 2022
पत्र सं० 1912
6/5

(विनोद कुमार)
प्रमुख वन संरक्षक
उत्तराखण्ड, देहरादून